

3. समस्त आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों (आरक्षित वर्ग GEN(WO/UKA/SP/DFF/EX), OBC, SC, ST (WO/UKA/SP/DFF /EX) के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड का स्थाई निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है) की 2-2 छाया प्रतियां एवं मूल प्रतियां।
4. केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु विभाग द्वारा देय अनापत्ति प्रमाण पत्र की 2 छायाप्रति एवं मूल प्रतियां।
5. राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित दो नवीनतम फोटोग्राफ।
6. लिखित परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र मूल रूप में।
7. निर्धारित प्रारूप पर भरा हुआ आवेदन पत्र (परिषद की वेबसाइट www.ubter.in से डाउनलोड किया जा सकता है)।

नोट:- समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र, उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण के प्रमाण पत्र दिनांक 4 मई 2011 से पूर्व के जारी होने अनिवार्य हैं। अभ्यर्थियों को स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से बुलावा पत्र प्रेषित किया गया है। साथ ही अभ्यर्थी पद हेतु न्यूनतम अर्हता का अध्ययन भी कर लेवें तथा अनावश्यक रूप से परिषद कार्यालय में सम्पर्क न करें।

पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं का विवरण निम्नवत हैः-

पदनाम एवं विभाग का नाम	पद कोड	पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं।	आयु सीमा
अधिदर्शक / प्रदर्शक रेखम विभाग	11	माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से जीव विज्ञान समूह के साथ इन्टरमीडिएट (विज्ञान) इन्टरमीडिएट (कृषि) या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।	18 से 40 वर्ष
मलिरिया निरीक्षक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	17	माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड की जीव विज्ञान विषय के साथ इन्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण।	21 से 40 वर्ष
प्रयोगशाला सहायक ग्रामीण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	22	(एक) विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ विषयों के रूप में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड की इन्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। (दो) निम्नलिखित सरकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में से किसी से प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) में छ: माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण पूर्ण करने का प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया हो:- 1. दून चिकित्सालय देहरादून। 2. बी0डी0पापण्डे चिकित्सालय नैनीताल।	18 से 40 वर्ष
गन्ना पर्यवेक्षक गन्ना चीनी विभाग	33	माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से इन्टरमीडिएट कृषि सहित परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। या क. माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से हाईस्कूल परीक्षा या समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। तथा ख. किसी मान्यता प्राप्त संस्था का कृषि में दो वर्ष का डिप्लोमा रखता हो। अधिमानी अर्हता: ऐसे अभ्यर्थी को जो कृषि में स्नातक उपाधि रखता हो अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।	21 से 40 वर्ष
राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक डेयरी विकास विभाग	50	कृषि में कम से कम इन्टरमीडिएट परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा अवश्य रखता हो। अधिमानी अर्हता: दुग्ध सहकारी समितियों के कार्य का अनुभव।	18 से 40 वर्ष

समस्त अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख सत्यापन के दौरान दिये गये विकल्पों के आधार पर अंतिम सूची तैयार की जायेगी। अतः ऐसा भी संभव है कि कतिपय अभ्यर्थी दिये गये विकल्पों के आधार पर रिक्त उपलब्ध न होने पर अंतिम चयन सूची से बाहर हो जाय। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता/आयु का अवलोकन अवश्य कर लेवें। अभिलेख सत्यापन में आमंत्रित करने का तात्पर्य अंतिम रूप से नियुक्ति होना नहीं है।

सचिव